निर्णय बइजलास शुभम चौधरी (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 23/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं. 2025/90

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड जयपुर ....प्रार्थी

1. श्रीमती पदमावती गुर्जर पत्नी श्री सत्यनारायण गुर्जर पता– ग्राम जुवाड बी.ओ. सवाई माधोपुर । अन्य पता– पट्टा नं0 16, जुवाड ग्राम पंचायत मुई नियर लक्ष्मण जी मन्दिर पंचायत समिति व जिला सवाई माधोपुर।
2. श्री सत्यनारायण गुर्जर पुत्र श्री जगदीश गुर्जर पता– रवांजना चौड बी.ओ. सवाई माधोपुर।
3. श्री जगदीश गुर्जर पुत्र श्री किशन गुर्जर पता– रवांजना चौड, बी.ओ.सवाई माधोपुर।

.........अप्रार्थी / ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.09.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती पदमावती गुर्जर पत्नी श्री सत्यनारायण गुर्जर पता– ग्राम जुवाड बी.ओ. सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा नं0 16, जुवाड, ग्राम पंचायत मुई, पंचायत समिति व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में गली व उसके बाद केसरा जाट का खेत, उत्तर में चार फुट गली व दक्षिण में गली व उसके बाद रामनारायण गुजर का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 1316 वर्ग फुट है, को बंधक रखकर 5,00,000/– (पांच लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.12.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 08.12.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 06.12.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया साथ ही दिनांक 08.12.2024 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा न0 16, जुवाड, ग्राम पंचायत मुई, पंचायत समिति व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में गली व उसके बाद केसरा जाट का खेत, उत्तर में चार फुट गली व दक्षिण में गली व उसके बाद रामनारायण गुजर का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 1316 वर्ग फुट है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 18.3.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karta Ram
Date: 2025.10.21 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner